कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

:–भूमि संपरिवर्तन में आ रही परेशानियॉ–:

1. वर्तमान में वन विभाग के 2 आदेश प्रचलित है। प्रथम आदेश 26.12.2002 के अनुसार रणथम्भौर नेशनल पार्क को बनाने वाले ब्लॉक की बाहरी दीवार से 500 मीटर तक किसी भी तरह का निर्माण निषेध है तथा पूर्व में निर्मित निर्माण में यदि कोई नया निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए कमेटी का प्रावधान है।
2. द्वितीय आदेश दिनांक 31.03.2015 के अनुसार रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हेबिटाट की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी तक सभी वाणिज्यिक गतिविधियां जिसमें होटल शामिल है तथा सभी औद्योगिक गतिविधियां जिसमें खनन शामिल है को प्रतिबंधित किया गया है तथा इस क्षेत्र में भू–उपयोग परिवर्तन पर भी रोक लगायी गई है।
3. उक्त द्वितीय आदेश में कई भी आवासीय / फार्म हाउस हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही राजकीय भूमि पर राजकीय संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटन के संबंध में कोई उल्लेख है।
4. आवेदकों द्वारा न्यास में विभिन्न प्रयोजनार्थ कन्वर्जन के लिए पत्रावली आती है तो न्यास द्वारा वन विभाग से आपत्ति / अनापत्ति के संबंध में पत्र द्वारा पूछा जाता है। वन विभाग से प्राप्त पत्रों में अलग–अलग टिप्पणी होने के कारण विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है ।
5. वन विभाग से प्राप्त 2 अनापत्तियों में तो यह उल्लेख किया गया था कि आदेश दिनांक 31.03.2015 के अनुसार रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हेबिटाट की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी तक सभी वाणिज्यिक गतिविधियां जिसमें होटल शामिल है तथा सभी औद्योगिक गतिविधियां जिसमें खनन शामिल है को प्रतिबंधित किया गया है तथा इस क्षेत्र में भू–उपयोग परिवर्तन पर भी रोक लगायी गई है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि राजस्थान सरकार के उक्त आदेश के [illegible] किसी एक प्रकरण में चाहे गये मार्गदर्शन के क्रम में विशेषाधिकारी, [illegible] राजस्थान सरकार जयपुर के अपने पत्र क्रमांक प. 3(10)वन / 2014–01308 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.03.2015 में स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराया है कि रणथम्भौर टाईगर रिर्जव के किटिकल टाईगर हेबिटाट क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की परिधि में केवल वाणिज्यिक एवं औद्योगिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:55:07 IST
Reason: SelfAttested

गतिविधियों को ही प्रतिबंधित किया गया है ना की निजी आवासीय / प्रयोजन हेतु स्वयं की भूमि संपरिवर्तन पर । जबकि अन्य प्राप्त अनापत्तियों में वन विभाग द्वारा दूरी बताते हुये केवल यह उल्लेख किया जाता है कि क्रिटिकल टाईगर हेबिटाट की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी तक सभी वाणिज्यिक गतिविधियां जिसमें होटल शामिल है तथा सभी औद्योगिक गतिविधियां जिसमें खनन शामिल है को प्रतिबंधित किया गया है तथा इस क्षेत्र में भू–उपयोग परिवर्तन पर भी रोक लगायी गई है। इस तरह अनापत्तियों में विरोधाभास होने से आवासीय / फार्म हाउस आदि प्रकरणों का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

6. साथ ही यह भी उल्लेख है कि सवाई माधोपुर शहर जो कि नेशनल पार्क बनने से पूर्व से ही बसा हुआ है वहाँ पर भी वन विभाग की वजह से आमजन पट्टे नहीं बन पा रहे है ।
7. वर्तमान में वन विभाग द्वारा नई आपत्ति/अनापत्तियों जारी करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है कि जिसमें भू–प्रबंधन विभाग (टोंक), राजस्व विभाग, वन विभाग के कार्मिक शामिल है। इनके संयुक्त सर्वे करने के उपरान्त ही आवेदित भूमि क्रिटिकल टाईगर हेबिटाट से दूरी बतायी जाती है। जिसके कारण आपत्ति / अनापत्तियां नियत समय पर प्राप्त नहीं हो रही है जिससे प्रकरण का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 13:55:07 IST
Reason: SelfAttested